

क्रमांक : एफ.18(आई-66)आईडब्ल्यूएमपी/निजमूस/2011/ 3320-54

दिनांक 28/6/12

समस्त परियोजना प्रबन्धक,

वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर,

जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

विषय :- आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में निर्माण सामग्री हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1212-1759 दिनांक 16.5.2012 के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक आदेश द्वारा एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में निर्माण सामग्री कय करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्देश दिये गये थे कि सभी पी.आई.ए. दिनांक 30.06.2012 तक निर्माण सामग्री हेतु निविदाओं को अन्तिम रूप दिया जाना सुनिश्चित करने एवं दिनांक 01.07.2012 से निर्माण सामग्री की आपूर्ति बी.एस.आर. दर पर नहीं की जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

सम्भवतः सभी जिलों द्वारा उक्त आदेशों की अनुपालना में कार्यवाही सम्भावित की जा रही है, किन्तु अभी तक निदेशालय में किसी भी जिले के स्तर से अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेशों की अनुपालना अक्षरशः सुनिश्चित की जावे एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही निर्माण सामग्री की आपूर्ति प्राप्त की जावे। इस सम्बन्ध में अनुपालना रिपोर्ट अचिलम्ब अद्योहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

  
निदेशक

क्रमांक : एफ.18(आई-66)आईडब्ल्यूएमपी/निजमूस/2011/ 3320-54

दिनांक 28/6/12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर।
3. उपनिदेशक (I.W.M.P.-I.II.III.IV.V.VI.VII)/परियोजना अधिकारी (भू संसाधन), निदेशालय, जयपुर।
4. समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

  
निदेशक